म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / योजना / गैर.तक / 85 / 2019–20 / 547. भोपाल,दिनांक 13/09/2019

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा (म0प्र0)

2. भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति..जिला...............................(समस्त)

विषय– मण्डी पुरस्कार योजना के संबंध में।
संदर्भः– मण्डी बोर्ड, मुख्यालय का पत्र क्रमांक / बी–6 / नियमन / पु. योजना / 60 / 2017–18 / 1937 दिनांक 14.05.2018

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 21.08.2019 को मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश की ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' वर्ग की मण्डी समितियों / ई–नाम मंडियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों / व्यापारियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विगत वर्ष 2018 की भांति इस वर्ष भी भोपाल में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजन शीघ्र ही किया जाना है। पुरस्कार नीति संलग्न है।

पत्र में संलग्न नीति अनुसार अपने आचंलिक कार्यालय की अधीनस्थ उत्कृष्ट कार्य करने वाली मण्डी समितियों तथा उनमें पदस्थ सचिवों / कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं मण्डी में व्यापार करने वाले लायेसेंसधारी व्यापारियों के प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत सहित संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार दिनांक 25.09.2019 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करावें।

प्रस्ताव भेजने के पूर्व पुरस्कार नीति में निर्धारित मापदण्डों का भलीभांति अध्ययन करें।

(डॉ0 केदार सिंह)
अपर संचालक(नियमन)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी–6/नियमन/पु.योजना/60/2017–18/1937 भोपाल, दिनांक 14/05/201

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा।

2. अध्यक्ष/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति....................(समस्त)
जिला............................ ।

विषयः–मण्डी पुरूस्कार योजना के सबंध मे।

आपके अंचल की ''क'' ख'' ग'' एवं घ'' वर्ग की मण्डीयॉ में कृषकों एवं व्यापारियों को कृ उपज के व्यापार में सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रत्येक वर्ष कई मण्डी समितियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जाता है। ऐसी मण्डी समितियों को प्रोत्साहन किया जाना आवश्यक है। साथ ही मण्ड समितियों के बीच उत्कृष्टता के लिये प्रतिस्पर्धा हो इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक व ऐसी उत्कृष्ट मण्डी समितियों को पुरूस्कृत किया जाना आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हु निम्नानुसार मण्डी पुरूस्कार योजना के अंतर्गत मण्डी समितियों को पुरूस्कृत किया जाना है।

01. मण्डी पुरूस्कार योजना का स्वरूप :–

मण्डी पुरूस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात् माह जून में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा आयोजित किए जाने वाले मण्डी सम्मेलन में समस्त मण्डी पदाधिकारियों की उपस्थिति में, योजना की पात्र मण्डियों के पदाधिकारियों को एवं मण्डी के व्यापारियों को पुरूस्कृत किया जाएगा। उन्हें पुरूस्कार स्वरूप प्रशंसा पत्र एवं राशि प्रदान की जाएगी। योजना में पात्र एवं उत्कृष्ट मण्डी को सामुहिक पुरूस्कार योजना तथा व्यापारियों को व्यक्तिगत पुरूस्कार योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किया जाएगा।

02. मण्डी पुरूस्कार योजना के लिए पात्रता :–

(अ) **सामुहिक पुरूस्कार योजना** :– योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग की 04 मण्डियां एवं अंतर्राज्जीय नाकों की 03 मण्डियां, ई–नाम की 03 मण्डियां कुल 22 मण्डियों का चयन कर पुरूस्कृत की जाएंगी।

(1) **प्रत्येक संवर्ग की 04 मण्डियां के चयन का आधार :–**

(i) मण्डी समितियां जिसकी अधिकतम आवक है।

(ii) मण्डी समितियां जिसकी मण्डी शुल्क से अधिकतम वार्षिक आय हो।

0/JD(inf...)/ DD Plan)
15.5.18

(iii) मण्डी समितियां जिसकी आनुपातिक रूप से अधिकतम वार्षिक आय एवं आवक में वृद्धि हो।

स्पष्टीकरण – उपरोक्त तीनों मापदण्डों का समान रूप (1/3) का वेटेज होगा।

(II) **अंतर्राज्जीय नाके की 03 मण्डियों के चयन का आधार** :– ऐसी मण्डी समितियां जिनका अंतर्राज्जीय नाकों पर अधिकतम राजस्व के प्रकरण तैयार किए गए हों।

(III) **ई–नाम की 03 मण्डियों के चयन का आधार** :–ई–नाम की ऐसी मण्डियां जिनके द्वारा अनुपातिक रूप से ई–नाम में अधिकतम व्यापार किया गया।

(ब) **व्यक्तिगत पुरूस्कार योजना** :–योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग की मण्डियों के 03 व्यापारियों तथा ई–नाम की मण्डियों के 03 व्यापारियों कुल 15 व्यापारियों को चयन कर प्रस्तुत किया जाएगा। चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा :–

(i) इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक संवर्ग की मण्डी समितियों के ऐसे 03 व्यापारी जिनके द्वारा अधिकतम तथा समय–सीमा में मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया है। जिसका विगत वर्षो का लेखा सत्यापन कार्य समय पर कराया गया है, पात्र होंगे।

(ii) ई–नाम मण्डी के ऐसे 03 व्यापारी जिनके द्वारा अनुपातिक रूप ई–नाम में अधिकतम व्यापार किया हो।

03. मण्डी पुरूस्कार योजनान्तर्गत पुरूस्कार राशिः–

(अ) **सामुहिक पुरूस्कार** :– योजना में पात्र एवं चयनित प्रदेश की कुल 22 मण्डियों को रूपये 4.00 लाख प्रति मण्डी के मान से पुरूस्कार राशि देय होगी। इस पुरूस्कार राशि का उपयोग मण्डी समितियां मण्डी स्तर पर प्रस्ताव पारित कर मण्डी के अंतर्गत अधोसंरचना, स्वच्छता एवं कृषकों को सुविधा प्रदान करने का कार्य कराए जा सकेंगे। मण्डी समिति उक्त कार्यो के लिए राशि की स्वीकृति के लिए सक्षम होगी।

(ब) **व्यक्तिगत पुरूस्कार** :–

(I) योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग की मण्डी समितियों के 03 व्यापारियों को निम्नानुसार पुरूस्कार की राशि देय होगी।

(i) 'क' संवर्ग के 03 व्यापारियों – रूपये 50,000/– प्रति व्यापारी
(ii) 'ख' संवर्ग के 03 व्यापारियों – रूपये 40,000/– प्रति व्यापारी
(iii) 'ग' संवर्ग के 03 व्यापारियों – रूपये 30,000/– प्रति व्यापारी
(iv) 'घ' संवर्ग के 03 व्यापारियों – रूपये 25,000/– प्रति व्यापारी

(II) योजना के पात्र तथा चयनित ई–नाम की 03 मण्डियों के व्यापारियों पुरूस्कार की राशि निम्नानुसार होगी :–
ई–नाम के चयनित 03 व्यापारियों को – रूपये 50000/– प्रति व्यापारी

04. **योजना में पुरूस्कार की चयन की प्रक्रिया** :–

(अ) उपरोक्त योजना के अंतर्गत सामुहिक पुरूस्कृत योजना के अंतर्गत मण्डी समितियों से संग्रहित किए पारिश्रमिक आंकड़ों के आधार पर बोर्ड स्तर पर निम्नानुसार समिति पात्र एवं उत्कृष्ट मण्डियों का चयन प्रत्येक वर्षान्त में 15 मई तक उपलब्ध कराएगी।

(i) अपर संचालक (नियमन) (ii) अपर संचालक (एम.आई.एस.)
(iii) अपर संचालक (योजना) (iv) अपर संचालक (ई–नाम)
(v) अपर संचालक (प्रांगण) (vi) अपर संचालक (वित्त)

(ब) व्यक्तिगत पुरूस्कार योजना के लिए मण्डी समितियों के माध्यय से व्यापारियों से 30 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस हेतु उनके समक्ष पात्र एवं व्यापारियों के चयन करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

(i) अपर संचालक (नियमन) (ii) अपर संचालक (प्रांगण)
(iii) संयुक्त संचालक (विधि) (iv) उप संचालक (वित्त)

यह समिति व्यापारियों का चयन कर 15 मई तक उपलब्ध कराएगी।

05. <u>योजना का क्रियान्वयन</u> :–योजना के क्रियान्वयन के लिए अपर संचालक (नियमन) मण्डी बोर्ड स्तर पर नोडल अधिकारी रहेंगे। वे मापदण्डों के अनुसार चयनित व्यापारियों संबंधितों को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मण्डी समितियों के पदाधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न कराएंगे। इस योजना में आने के लिए/उपस्थित होने के लिए मण्डी पदाधिकारियों को पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस योजना में उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों को मण्डी समितियां नियमानुसार यात्रा भत्ता आदि का भुगतान करेगी।

06. <u>योजना की वित्त व्यवस्था</u> :–

योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रदेश स्तरीय मण्डी सम्मेलन के लिए होने वाले व्यय की व्यवस्था कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि के उदभूत ब्याज की राशि से होगी तथा पुरूस्कार राशि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था बोर्ड बजट में प्रावधान कर की जाएगी।

अतः आंचलिक अधिकारी उपरोक्त बिन्दुओं पर व्यापक समीक्षा के आधार पर "क" ख" ग" एवं घ" सवंर्ग की सर्वोत्तम कार्य करने वाली मण्डी समितियों के सचिवों के नाम, पदनाम एवं मण्डी में कारबार करने वाले उत्कृष्ट व्यापारियों की व्याख्या करते हुये एकजाई प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत के साथ दिनांक 15.05.2018 तक उपलब्ध करावे।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बी–6/नियमन/पु.योजना/60/2017–18/1938 भोपाल, दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः–**सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1 निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव सह–कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

4 प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

5 अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

6 संयुक्त संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

7 उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल